उपायुक्त का कार्यालय (जिला पंचायत राज कार्यालय) देवघर।

15वें वित्त आयोग के तहत् संविदा के आधार पर कनीय अभियन्ता एवं लेखा लिपिक–सह– कम्प्यूटर ऑपरेटर की सेवाएँ प्राप्त करने से संबंधित विज्ञापन सूचना

सरकार के सचिव, ग्रामीण विकास विभाग (पंचायती राज), झारखण्ड, राँची के अधिसूचना संख्या 395/पं0 दिनांक 19.02.2021, पत्रांक 410 दिनांक 22.02.2021 एवं पत्रांक 447 दिनांक 25.02.2021 द्वारा प्राप्त निर्देश के अनुसार 15वें वित्त आयोग के अन्तर्गत देवघर जिला के सभी प्रखंडों के लिए 20 (बीस) (2 प्रति प्रखंड की दर से) **कनीय अभियन्ता** एवं सभी ग्राम पंचायतों के लिए 39(उन्चालीस) (प्रत्येक पाँच पंचायतों पर एक) **लेखा लिपिक–सह–कम्प्यूटर ऑपरेटर** का पद सृजित किया गया है, जिनकी नियुक्ति संविदा के आधार पर की जानी है। विभागीय अधिसूचना संख्या 395, दिनांक 19.02.2021 के द्वारा 15वें वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान से ग्राम पंचायतों के लिए संविदा पर नियुक्त होने वाले कनीय अभियन्ता एवं लेखा लिपिक–सह–कम्प्यूटर ऑपरेटर के लिए मासिक मानदेय निम्नवत् निर्धारित की गई है :–

क्र0	पद का नाम	मासिक मानदेय
01	कनीय अभियन्ता	17,000/–
02	लेखा लिपिक –सह– कम्प्यूटर ऑपरेटर	10,000/–

अतः उपरोक्त पदों पर नियुक्ति हेतु निम्न शर्त्तों के अधीन आवेदन–पत्र आमंत्रित किये जाते हैं :–

2. कनीय अभियन्ता :

क– **आरक्षण :**

क्र0	पद की संख्या	आरक्षण वर्ग					क्षैतिज आरक्षण संबंधी विवरणी
		ST	SC	BC-I	BC-II	UR	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	20	2	3	3	2	10	नियमानुसार लागू

नोट– आयुक्त संथाल परगना प्रमण्डल, दुमका द्वारा कोटिवार आरक्षण रोस्टर स्वच्छ किये जाने के प्रत्याशा में विज्ञापन प्रकाशित किया जा रहा है। अन्तिम रूप से रोस्टर क्लियरेन्स में परिवर्त्तन होने पर कोटिवार आरक्षण में परिवर्त्तन हो सकता है।

ख– **शैक्षणिक योग्यता –**

(i) अनिवार्य योग्यता– मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से नियमित पाठ्यक्रम में 60 प्रतिशत् अंकों के साथ सिविल अभियंत्रण में डिप्लोमा अथवा समकक्ष शैक्षणिक योग्यता। अनुसूचित जाति तथा जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अंक 50 प्रतिशत् होगा।

(ii) वांछनीय योग्यता– संबंधित क्षेत्र में उच्चतर योग्यता।

ग– **उम्र सीमा** – कनीय अभियन्ता के लिए उम्र सीमा अधिकतम 40 वर्ष होगी।

*नोट :– आवेदकों के उम्र की गणना हेतु दिनांक 01.01.2021 की तिथि को **Cut off Date** निर्धारित किया गया है। वैसे अभ्यर्थी जिन्हें ग्राम पंचायतों में 14वें वित्त आयोग से संबंधित कार्यों का अनुभव हो, उन्हें अधिकतम उम्र सीमा में अधिकतम तीन वर्ष की छूट प्रदान की जायेगी।*

घ– चयन की प्रक्रिया –

I. जिला स्तरीय चयन समिति की अनुशंसा के आलोक में अधोहस्ताक्षरी द्वारा संविदा पर चयन की जायेगी।

II. चयन शैक्षणिक योग्यता (अनिवार्य एवं वांछनीय), अनुभव एवं विषय के ज्ञान संबंधी जाँच परीक्षा के अंकों के कुल प्राप्तांकों पर आधारित होगा।

च— **मेधा सूची तैयार करने की पद्धति :**

a) प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या अत्याधिक होने की स्थिति में आरक्षणवार रिक्तियों की तीन गुणा अभ्यर्थियों की प्रारंभिक मेधा सूची तैयार की जाएगी। प्रारंभिक मेधा सूची कंडिका–छ–I में अंकित मापदण्ड के आधार पर अनिवार्य, वांछनीय, शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव के कुल प्राप्तांक के आधार पर तैयार की जाएगी।

b) प्रारंभिक मेघा सूची में शामिल अभ्यर्थियों को विषय (अभियंत्रण) ज्ञान हेतु जाँच परीक्षा में सम्मिलित होना अनिवार्य होगा।

c) अंतिम मेधा सूची में पदवार निक्ति का दोगुना नाम पैनल के रूप में रहेगा, जो अधिकतम एक वर्ष के लिए वैध रहेगा। पदों में एक साल के अंदर होने वाले रिक्ति इसी से भरे जायेंगे।

d) दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के अंतिम मेघा सूची में टाई (Tie) की स्थिति में उम्र में वरीय को प्राथमिकता दी जायेगी। यदि उम्र बराबर हो, तो स्थानीयता को प्राथमिकता दी जाएगी। स्थानीयता में समानता होने की दशा में लॉटरी के माध्यम से चयन किया जायेगा।

छ— **मूल्यांकण :**

I. अभ्यर्थियों का मूल्यांकन 100 अंकों पर किया जाएगा जो निम्न खण्डों में विभाजित रहेगा :—

अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता	वांछित योग्यता	अनुभव	विषय ज्ञान	योग
50	10	30	10	100

II. विषय ज्ञान संबंधी जाँच परीक्षा में उत्तीर्णता का स्तर 40 प्रतिशत् रहेगा यानि 10 में 4 अंक लाना अनिवार्य होगा।

III. चयन की पात्रता हेतु कुल निर्धरित 100 अंकों में से सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों को न्यूनतम 50 अंक एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को न्यूनतम 40 अंक लाना अनिवार्य होगा। इससे कम अंक लाने पर चयन हेतु अयोग्य माने जायेंगे।

IV. अनुभव का तात्पर्य है 14th FC में कार्य करने का अनुभव। जिसका प्रमाण मानदेय भुगतान संबंधी विवरणी के आधार पर होगा।

3. लेखा लिपिक —सह— कम्प्यूटर ऑपरेटर :

क— **आरक्षण :**

क्र0	पद की संख्या	आरक्षण वर्ग					क्षैतिज आरक्षण संबंधी विवरणी
		ST	SC	BC-I	BC-II	UR	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	39	05	05	05	04	20	नियमानुसार लागू

नोट— आयुक्त संथाल परगना प्रमण्डल, दुमका द्वारा कोटिवार आरक्षण रोस्टर स्वच्छ किये जाने के प्रत्याशा में विज्ञापन प्रकाशित किया जा रहा है। अन्तिम रूप से रोस्टर क्लियरेन्स में परिवर्त्तन होने पर कोटिवार आरक्षण में परिवर्त्तन हो सकता है।

ख— **शैक्षणिक योग्यता :**

(i) अनिवार्य योग्यता— मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से न्यूनतम 50 प्रतिशत् अंकों के साथ बी0कॉम/बी0एस0सी0(गणित/सांख्यिकी)/बी0ए0 (गणित/सांख्यिकी) अथवा समकक्ष डिग्री। अनुसूचित जाति तथा जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अंक में 45 प्रतिशत् होगा।

(ii) वांछनीय योग्यता एवं अनुभव— संबंधित क्षेत्र में उच्चतर योग्यता एवं अनुभव को प्राथमिकता दी जायेगी।

ग— **उम्र सीमा :**

लेखा लिपिक —सह—कम्प्यूटर ऑपरेटर के लिए उम्र सीमा अधिकतम 40 वर्ष होगी।

*नोट :– आवेदकों के उम्र की गणना दिनांक 01.01.2021 की तिथि को **Cut off Date** के आधार पर निर्धारित किया जाएगा। वैसे अभ्यर्थी जिन्हें ग्राम पंचायतों में 14वें वित्त आयोग से संबंधित कार्यों का अनुभव हो, उन्हें अधिकतम उम्रसीमा में अधिकतम तीन वर्ष की छूट प्रदान की जायेगी।*

घ– चयन की प्रक्रिया :

I. जिला स्तरीय चयन समिति की अनुशंसा के आलोक में अधोहस्ताक्षरी द्वारा संविदा पर चयन किया जायेगा।

II. चयन शैक्षणिक योग्यता (अनिवार्य एवं वांछनीय), अनुभव एवं कम्प्यूटर जाँच के अंकों के कुल प्राप्तांकों पर आधारित होगा।

च– मेधा सूची तैयार करने की पद्धति :

a) प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या अत्याधिक होने की स्थिति में आरक्षणवार रिक्तियों की तीन गुणा अभ्यर्थियों की प्रारंभिक मेधा सूची तैयार की जाएगी। प्रारंभिक मेधा सूची अनिवार्य, वांछनीय, शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव के कुल प्राप्तांक के आधार पर तैयार की जाएगी।

b) प्रारंभिक मेधा सूची में शामिल अभ्यिर्थियों को कम्प्यूटर ज्ञान हेतु जाँच परीक्षा में सम्मिलित होना अनिवार्य होगा।

c) अंतिम मेधा सूची में पदवार रिक्ति का दोगुणा नाम पैनल के रूप में रहेगा जो अधितम एक वर्ष के लिए वैध रहेगा। पदों में एक साल के अन्दर होने वाले रिक्ति इसी से भरे जायेंगे।

d) दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के अंतिम मेघा सूची में टाई (Tie) की स्थिति में उम्र में वरीय को प्राथमिकता दी जायेगी। यदि उम्र बराबर हो, तो स्थानीयता को प्राथमिकता दी जाएगी। स्थानीयता में समानता होने की दशा में लॉटरी के माध्यम से चयन किया जायेगा।

छ– मूल्यांकण :

I. अभ्यर्थियों का मूल्यांकन 100 अंकों पर किया जाएगा जो निम्न खण्डों में विभाजित रहेगा :–

अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता	वांछित योग्यता	अनुभव	विषय ज्ञान	योग
50	10	30	10	100

II. कम्प्यूटर परीक्षा में उत्तीर्णता का स्तर 40 प्रतिशत् रहेगा यानि 10 में से 4 अंक लाना अनिवार्य होगा।

III. चयन की पात्रता हेतु कुल निर्धारित 100 अंकों में से सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों को न्यूनतम 50 अंक एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के उम्मीदवारों को न्यूनतम 40 अंक लाना अनिवार्य होगा। इससे कम अंक लाने पर चयन हेतु अयोग्य माने जायेंगे।

IV. लेखा लिपिक–सह–कम्प्यूटर ऑपरेटर के रूप में चयन हेतु अभ्यर्थियों को हिन्दी एवं अंग्रेजी टंकण में क्रमशः न्यूनतम 25 एवं 30 शब्द प्रति मिनट की गति अनिवार्य होगी।

V. अनुभव का तात्पर्य है 14th FC में कार्य करने का अनुभव। जिसका प्रमाण मानदेय भुगतान संबंधी विवरणी के आधार पर होगा।

4. आवेदन समर्पित करने की प्रक्रिया :

a) आवेदन पत्र विहित प्रपत्र में भरे जायेंगे जिसे देवघर जिला के आधिकारिक वेबसाईट **deoghar.nic.in** से डाउनलोड किया जा सकता है।

b) आवेदक एक से अधिक पदों के लिए आवेदन समर्पित कर सकते हैं। इसके लिए प्रत्येक पद के लिए अलग–अलग आवेदन पत्र समर्पित करना होगा एवं पदवार अलग–अलग शुल्क जमा करना होगा। पूर्ण रूप से भरे गए आवेदन पत्र को **"जिला पंचायत राज पदाधिकारी, देवघर, पता–विकास भवन, देवघर समाहरणालय, देवघर पिन–814112"** पर भेजना होगा।

c) आवेदन पत्र सुस्पष्ट अक्षरों में भरना होगा। आवेदन पत्र के साथ हाल का खींचा हुआ रंगीन पासपोर्ट आकार का स्वअभिप्रमाणित फोटो चिपकाना अनिवार्य होगा।

d) आवेदक/आवेदिका को आवेदन के साथ पद के अनुरूप शुल्क का भुगतान करना होगा, जो निम्नवत् होगा।

क्रमांक	पद का नाम	शुल्क की राशि	कोटि
01	कनीय अभियन्ता	500/–रुपये	सामान्य
		300/–रुपये	अ0जा0, अ0ज0जा0 एवं महिला
02	लेखा लिपिक –सह– कम्प्यूटर ऑपरेटर	500/–रुपये	सामान्य
		300/–रुपये	अ0जा0, अ0ज0जा0 एवं महिला

e) आवेदन शुल्क की राशि का भुगतान **उपायुक्त, देवघर (Deputy commissioner, Deoghr)** के पदनाम से राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निर्गत बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक के माध्यम से किया जाएगा जो **देवघर जिला में भुगतेय** हो।

f) आवेदन पत्र ई–मेल **dpro.deoghar-jhr@nic.in** के माध्यम से समर्पित किया जा सकता है, परन्तु इसकी मूल प्रति निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से कार्यालय अवधि में ही भेजे जाने होंगे एवं आवेदन पत्र समर्पित करने की अन्तिम तिथि **23.03.2021** तक निर्धारित की गयी है। आवेदन पत्र के साथ वांछित प्रमाण पत्रों की स्वअभिप्रमाणित प्रति एवं आवेदन शुल्क का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक संलग्न करना अनिवार्य होगा। लिफाफे पर आवेदक/आवेदिका का नाम, पिता/पति का नाम, पत्राचार पता तथा आवेदित पद का नाम साफ–साफ अक्षरों में लिखा होना चाहिए।

g) आवेदन पत्र के साथ एक स्वपता (पत्राचार पता) लिखा लिफाफा **निबंधित डाक** हेतु निर्धारित मो0–**22.00 (बाईस)** रूपये के टिकट के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न करना होगा।

h) निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्र/अधूरा भरा आवेदन पत्र/शुल्क रहित आवेदन पत्र/कार्यालय में सीधे प्राप्त आवेदन पत्र/साधारण डाक द्वारा प्राप्त आवेदन पत्र/वांछित प्रमाण पत्रों की स्वअभिप्रमाणित प्रति संलग्न नहीं रहने पर आवेदन पत्र को अस्वीकृत कर दिया जायेगा।

5. संविदा पर नियुक्त होने वाले कर्मियों की सेवाशर्त्त निम्नवत् होगी :–

(i) चयनित अभ्यर्थियों के लिए प्रखंड एवं पंचायत के चयन के संबंध में अधोहस्ताक्षरी के स्तर से पंचायतों का क्लस्टर तैयार कर निर्णय लिया जायेगा।

(ii) चयनित अभ्यर्थियों से प्रखंड एवं पंचायतों के क्लस्टर हेतु विकल्प माँगा जाएगा। योग्यता सह विकल्प (**Merit cum Choice**) के आधार पर प्रखण्ड एवं पंचायत का क्लस्टर अभ्यर्थी को कर्णांकित किया जाएगा।

(iii) कर्णांकित अभ्यर्थियों में से कनीय अभियन्ता का सेवा अनुबंध संबंधित प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी–सह–सचिव, पंचायत समिति करेंगे तथा लेखा लिपिक–सह–कम्प्यूटर ऑपरेटर का अनुबंध संबंधित पंचायत कलस्टर के सबसे अधिक जनसंख्या वाले ग्राम पंचायत के पंचायत सचिव द्वारा किया जाएगा।

(iv) सेवा अनुबंध प्रारंभ में एक वर्ष के लिए किया जाएगा। एक वर्ष के पश्चात उनके कार्यों की समीक्षा की जाएगी जिसके आधार पर सेवा की आवश्यकता एवं निधि की उपलब्धता के आधार पर एक–एक वर्ष के लिए सेवा अनुबंध का नवीकरण किया जा सकेगा, किन्तु सेवा अनुबंध सिर्फ 15वें वित्त आयोग की अवधि तक के लिए ही अनुमान्य होगा एवं किसी भी परिस्थिति में इसे आयोग की अवधि के पश्चात की अवधि के लिए नवीकरण नहीं किया जाएगा।

(v) सेवा अनुबंध का वार्षिक नवीकरण सेवा की आवश्यकता, कर्मियों के क्षमताओं, निधि की उपलब्धता तथा योजना की अवधि को ध्यान में रखते हुए किया जायेगा। नवीकरण नहीं होने की स्थिति में ऐसी सेवा अनुबंध स्वतः समाप्त समझी जायेगी।

(vi) उपर्युक्त अवधि में सेवा अनुबंध पर कार्यरत कर्मी को किसी अन्य स्थान/संस्थाओं इत्यादि में कार्य करने की अनुमति नहीं दी जायेगी। साथ ही पंचायत द्वारा क्रियान्वित योजनाओं में संवेदक अथवा किसी अन्य रूप में कार्य करने अथवा निविदा में भाग लेने की अनुमति संबंधित कर्मी अथवा उनके पारिवारिक सदस्यों को नहीं होगी।

(vii) यदि कोई कार्यरत कर्मी सेवा अनुबंध से स्वतः मुक्त होना चाहेगा तो संबंधित पंचायतों को इसकी लिखित सूचना एक माह पूर्व देनी होगी या एक माह की परिलब्धि जमा करनी होगी। इसके विपरीत यदि किसी कार्यरत कर्मी की सेवा की आवश्यकता नहीं हो तो वे उसे एक माह की लिखित सूचना या एक माह की परिलब्धि देकर सेवा अनुबंध समाप्त किया जा सकेगा।

(viii) सेवा अनुबंध पर कार्यरत कर्मी के विरूद्ध किसी प्रकार की शिकायत/परिवाद प्राप्त होने पर प्रखंड विकास पदाधिकारी के स्तर से आवश्यक जाँच परिवाद प्राप्त होने के 15 दिनों के अन्दर पूर्ण कर जाँच प्रतिवेदन मंतव्य सहित अधोहस्ताक्षरी को प्रेषित किया जाएगा। जाँच प्रतिवेदन प्राप्त होने के एक पक्ष के अन्दर निर्णय लिया जायेगा।

(ix) सेवा अनुबंध पर कार्यरत कर्मी को सेवा अनुबंध के विरूद्ध निर्धारित राशि के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार का मानदेय अथवा भत्ता आदि का भुगतान नहीं किया जाएगा।

(x) राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अवकाश अनुबंध कर्मियों को देय होगा।

ह०/—
उपायुक्त,
देवघर।

ज्ञापांक 351/जि0पं0, देवघर, दिनांक 13.03.2021

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, देवघर को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि उक्त विज्ञापन सूचना एवं संलग्न आवेदन पत्र के प्रपत्र को देवघर जिला के आधिकारिक वेबसाईट **deoghar.nic.in** पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि : निदेशक—सह—संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास विभाग (पंचायती राज), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/—
उपायुक्त,
देवघर।